(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सूचना सं51/2015–20
नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी, 2019

विषय: आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) में एक्जिम कोड 27101219 के तहत वैमानिक गैसोलीन की आयात नीति में संशोधन के संबंध में।

सा.आ. (अ.): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) में एक्जिम कोड 27101219 के तहत वैमानिक गैसोलिन की आयात नीति और नीतिगत शर्तों में निम्नानुसार संशोधन करती है :

एक्जिम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
27101219	अन्य	राज्य व्यापार उद्यम	तथापि, वैमानिक गैसोलीन का आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन 'मुक्त' है।	निम्नलिखित नीतिगत शर्त (5) के अनुसार आयात	अध्याय की नीतिगत शर्त (5) के अनुसार आयात। तथापि, नीतिगत शर्त (5)फलाईंग क्लब जो उद्योग के लिए मद के 'सुरक्षा' मानदंडों के लिए जिम्मेवार होंगे, द्वारा वैमानिक गैसोलीन के आयात हेतु लागू नहीं होगी।

2. **इस अधिसूचना का प्रभाव:** वैमानिक गैसोलीन के लिए आयात नीति 'मुक्त' है।

यह वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

[फा.सं. 01/89/180/22/एएम–12/पीसी–2(क)/(ई–1463) निर्यात प्रकोष्ठ से जारी]